E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

जस्टिफिकेशन नोट

''पॉल्यूसन अवेटमेण्ट ऑफ कोसी रीवर एट रामनगर''के निस्तारण हेतु प्रस्तावित की गई आवश्यक वनभूमि के संबंध में।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्थित रामनगर कस्बे के आबादी क्षेत्रान्तर्गत जलोत्सारण की व्यवस्था न रहने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा वर्षो से रामनगर कस्बे हेतु जलोत्सारण योजना तैयार करवाये जाने की मांग की जाती रही है। स्थानीय निवासियों की मांग पर तत्कालीन उत्तराखण्ड सरकार के मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत रामनगर शहर में जलोत्सारण योजना निर्माण किये जाने की घोषणा वर्ष 2004–05 में हुई थी। घोषणा के संदर्भ में कस्बे की जलोत्सारण योजना बनाये जाने हेतु विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ कर आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु शासन स्तर पर प्रस्तुत किया गया था, परन्तु प्राक्कलन के सापेक्ष स्वीकृति व धनावंटन अपेक्षित रहने के फलस्वरुप योजना पर कार्यान्वयन संभव नहीं हो सका। रामनगर शहर में जलोत्सारण एवं घरेलू गन्दे पानी की निकासी का तकनीकी समाधान उपलब्ध न रहने के कारण शहर के घरेलू गन्दे पानी व उनके सैप्टिक टैंकों से प्रवाहित होने वाले गन्दे पानी की निकासी शहर में बहने वाले विभिन्न गन्दे नालों के माध्यम से कस्बे के समीप बहने वाली कोसी नदी अथवा उससे निकलने वाली सिंचाई नहरों/गूलों में प्रवाहित होने के कारण कोसी नदी सहित उसकी सहायक नहरों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण क्षेत्रीय जनता में उपज जनाक्रोश/जन भावना के आधार पर एक रिट याचिका सं0 239/2015 मां0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दाखिल की गई, जिसके सापेक्ष मा0 एन0जी0टी0 के स्तर पर मानवाधिकार के अन्तर्गत तत्परता से निर्णय लेते हुए रामनगर कस्बे के समीप बहने वाली कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

मां0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,नई दिल्ली के उक्त निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करते हुए उत्तराखण्ड पेयजल निगम की रामनगर स्थित ईकाई को उक्त प्रदूषण के रोकथाम का कार्यभार सौंपे जाने के फलस्वरुप पेयजल निगम ईकाई, रामनगर द्वारा मां0 एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोसी नदी में गिरने वाले रामनगर शहर के गन्दे नालों के शोधन हेतु एस0टी0पी0 एवं सीवर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का निर्णय लेते हुए इस कार्य हेतु इम्पैनल्ड ऐजन्सी के माध्यम से आवश्यक सर्वेक्षण/डीपीआर तैयार करवा कर प्रस्तुत की गई है। डीपीआर में सम्मिलित कार्यो हेतु विभिन्न नालों के मुहाने पर टेपिंग, सीवर पाईप लाईन, शोधन संयंत्र एवं एस0पी0एस0 के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि चयन कर राजस्व विभाग/वन विभाग एवं नगरपालिका के साथ संयुक्त निरीक्षण कर किया गया है। **निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित कार्यस्थलों पर उपलब्ध समस्त भूमि राजस्व विभाग एवं वन विभाग से संबंधित रही है। प्रस्तावित कार्यस्थलों पर उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है।** इस प्रकार वर्णित प्रस्तावित कार्यो का निर्माण मात्र वनभूमि एवं राजस्व विभाग की भूमि पर ही सम्पन्न किया जाना नितान्त आवश्यक है। जो कार्य राजस्व विभाग की भूमि पर होने हैं,उस भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही भी अलग से सम्पन्न की गई है।

वर्णित परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि मा0 एनजीटी के आदेश के अनुरुप कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु उच्च प्राथमिकता पर कार्य करवाये जाने के आदेशों के अनुपालन में विभागीय स्तर से उक्त प्रस्तावित कार्यो हेतु उपलब्ध वनभूमि/राजस्व भूमि की प्राप्ति हेतु आवश्यक भूमि हस्तान्तरण संबंधी कार्यवाही अमल में लाई गई है। मा0 एन0जी0टी के निर्देशों के अनुक्रम में कोसी नदी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु वांछित/आवेदित वनभूमि का हस्तान्तरण जनहित/कार्यहित में एक मात्र विकल्प है। अतः प्रस्तुत वनभूमि प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाये ।

अधिशासी अभियंता

Scanned by CamScanner